Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

CNR NUMBER 2022/62

Number of Case A/83/ Year 2024

श्यामा Versus कान्ता देवी व अन्य

U/S - 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
गुलाब (अप्रार्थी सं-3)	वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की डाक रसीदें एवं Tracking Report प्रस्तुत की गई। जो शामिल मिसल हो। Tracking Report के आधार पर अप्रार्थीगणों की तामील पूर्ण मानी जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाबदावा पेश करने हेतु समय चाहते हैं। न्यायहित में एक अवसर दिया जाता है। अप्रार्थी संख्या 5, 6, 9 व 10 अप्रार्थी की डाक रसीदें एवं Tracking Report के अनुसार बार-बार रूक रूककर आवाजें दिलाई गयी। बावजूद इनके तरफ से न ही कोई पक्षकार उपस्थित हुए व न ही इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्यायहित में उपस्थिति हेतु एक अवसर दिया जाता है। वकील प्रार्थी गत आदेशिका की पालना करें। अप्रार्थी संख्या-3 (गुलाब) स्वयं उपस्थित। पत्रावली वास्ते उपस्थिति (अप्रार्थी- 5, 6, 9 व 10) हेतु एवं जवाबदावा (अप्रार्थी - 1 व 3) हेतु तथा शेष अप्रार्थी तलबी अप्रार्थी संख्या - 4, 7, 8 व 11 हेतु आयंदा दिनांक - 12/11/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
17/10/25	पत्रावली प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् फाईल आज ही पेशी पर तलब किये	

Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय ... कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक), जोधपुर

CNR NUMBER 2022/62

Number of Case A/83/ Year 2024

श्यामा Versus कान्ता देवी व अन्य

U/S - 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	जाने हेतु न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया / शामिल मिसल हो। प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठिर कच्छवाह ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि - "वादीनी उक्त प्रकरण को पारिवारिक समझाईश से आज ही विड्रो करना चाहती है।" उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से पत्रावली आज पेशी पर ली गई। प्रार्थीनी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि - "उक्त प्रकरण वादीनी की ओर से वास्ते बंटवाड़ा हेतु प्रस्तुत किया गया लेकिन उक्त प्रकरण को वादीनी / प्रार्थीनी पारिवारिक आपसी समझाईश से अब उक्त प्रकरण को इसी स्टेज पर आगे चलाना नहीं चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि पारिवारिक समझाईश से प्रकरण को इसी स्टेज पर निस्तारित कर पत्रावली को फैसल शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करावें।" प्रार्थीनी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिसकी पहचान प्रार्थीनी के अधिवक्ता ने कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर — सत्यमेव जयते	श्यामा (वादी) 11/6/25 प्रत्याहार अर्जी वादी Sd/- युधिष्ठिर कच्छवाह (अधि. वादी) R/1950/07